

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

उनवान

1. श्री भंवरलाल पिता स्व. उंकारलाल मेघवाल निवासी चीपीखेडा तह. मावली।
2. श्री चम्पालाल पिता स्व. उंकारलाल मेघवाल निवासी चीपीखेडा तह. मावली।

.....वादीग

बनाम

1. श्री दौला पिता स्व. खेमा मेघवाल निवासी चीपीखेडा तह. मावली।
2. श्री तुलसा पिता कालिया मेघवाल निवासी चीपीखेडा तह. मावली।
3. श्री देवा पिता कालिया मेघवाल निवासी चीपीखेडा तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 88 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 135/17 वाद

निर्णय दिनांक : 10.02.2018

वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा चीपीखेडा पटवार हल्का गोलवाडा की आ.न. 212, 220, 231, 702, 703 किता 5 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा एवं आ.न. 700 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा चाह भूमि में वादीगण को 4/28 हिस्से व प्रतिवादी सं.1, 2, 3 प्रत्येक को 4/28 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

यह आज तारीख 10.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली